रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 650] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 1998/आश्विन 8, 1920

No. 650] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 1998/ASVINA 8, 1920

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1998

का. आ. 873(अ).—केंद्रीय सरकार ने भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 114(अ) तारीख 19 फरवरी, 1991 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के द्वारा तटीय प्रसार को तटीय विनियमन क्षेत्र घोषित किया था और उक्त क्षेत्र में उद्योगों, संचालनों और प्रक्रियाओं को स्थापित करने और उनके विस्तार पर निर्बंधन अधिरोपित किए थे :

और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने उक्त राज्य क्षेत्र के तटीय विनियमन क्षेत्र में बालू के खनन पर लगे निर्बंधन के कारण स्थानीय व्यक्तियों द्वारा उठाई जा रही कठिनाइयों की ओर केंद्रीय सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है :

और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने इस बात की जांच कर ली है :

और भारत केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना को संशोधित किया जाना चाहिए :

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप नियम (4) में यह उपबंध है कि ''उप नियम (3) में किसी बात के होते हुए भी, जब कभी केंद्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है तो वह उपनियम(3) के खंड(क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति दे सकेगी'';

अत: अब केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम(3) और उपनियम(4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप धारा (1) और उप धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :—

(क) पैरा 2 के उप पैरा (ix) के परन्तुक में —

(i) ''लोक निर्माण विभाग, समिति'' शब्दों के स्थान पर ''लोक निर्माण विभाग और उक्त समिति'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) ''30 सितम्बर, 1998'' शब्दों और अंकों के स्थान पर ''30 सितम्बर 1999'' शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(iii) ''1998-99 वार्षिक योजना की अपेक्षा'' शब्दों और अंकों के स्थान पर ''1998-99 और 1999-2000 वार्षिक योजनाओं की अपेक्षाओं'' शब्द और अंक रखे जाएंगे।

(ख) उपाबंध 1 में सी और जैड 4 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शीर्षक में मद (iv) की उपमद (ख) में ''30 सितम्बर, 1998'' शब्दों और अंकों के स्थान पर ''30 सितम्बर, 1999'' शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

[सं. जैड-12011/2/96-आई ए-III]

वी. राजगोपालन, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2 खंड 3 में का. आ. संख्या 114(अ) तारीख 19 फरवरी, 1991 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चात्वर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए :—

(i) का. आ. सं. 595(अ) तारीख 18 अगस्त, 1994

(ii) का. आ. सं. 73(अ) तारीख 31 जनवरी, 1997

(ii) का. आ. सं. 494(अ) तारीख 9 जुलाई, 1997

(ii) का. आ. सं. 334(अ) तारीख 20 अप्रैल, 1998

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th of September, 1998

S. O. 873(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S. O. 114(E), dated the 19th February, 1991 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government declared Coastal Stretches as Coastal Regulation Zone and restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries, operations and processes etc., in the said Zone;

And whereas the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands Administration had drawn attention of the Central Government to the difficulties being faced by the local people due to restrictions on mining of sand in the Coastal Regulation Zone in the said territory;

And whereas, the issue has been examined by the Government of India in the Ministry of Environment and Forests;

And whereas, the Central Government is of the opinion that the said notification should be amended;

And whereas, sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that, "Notwithstanding anything contained in sub-rule (3), whenever it appears to the Central Government that it is in public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3)";

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) and (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the said notification, namely :—

(a) In paragraph 2, in sub-paragraph (ix) in the proviso, —

(i) for the words "Public Works Department, Committee" the words "Public Works Department. The said Committee" shall be substituted;

(ii) for the figures, letters and words "30th day of September, 1998", the figures, letters and words "30th day of September, 1999" shall be substituted; and

(iii) for the words and figures "requirement of 1998-99 annual plan" the words and figures "requirements of 1998-99 and 1999-2000 annual plans" shall be substituted.

(b) In Annexure-I in heading—CRZ-IV Andaman & Nicobar Islands, in sub-item(b) of item (iv), for the figures, letters and words "30th day of September, 1998" the figures, letters and words "30th day of September, 1999" shall be substituted.

[No. Z-12011/2/96-IA-III]

V. RAJAGOPALAN, Jt. Secy.

Foot Note :—The principal notification was published vide S. O. No. 114(E) dated 19th February, 1991 in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India Extraordinary and subsequently amended vide :—

(i) S. O. No. 595(E) dated 18th August, 1994.

(ii) S. O. No. 73(E) dated 31st January, 1997.

(iii) S. O. No. 494(E) dated 9th July, 1997.

(iv) S. O. No. 334(E) dated 20th April, 1998.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998